



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या : हि.अनु./हि.शि.यो./संगठन/2017/वॉल

दिनांक:

सेवा में,

निदेशक, पीडीयूएनएसएस,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.),
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय (प्र.से.प्र.) ।

09 MAY 2018

विषय: हिंदी शिक्षण योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में।

संदर्भ: क.भ.नि.सं. मुख्यालय पत्र सं: हि.अ./रा.भा.सम्मेलन-16/2017/5857 दिनांक:28.03.2018

(मद सं.- 6)

महोदय/महोदया,

दिनांक 09.02.2018 को जोधपुर में आयोजित 16वीं सम्मेलन में उपर्युक्त मद पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कर्मचारी शेष हैं, वहां प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों के लिए समयबद्ध योजना अपनाते हुए प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2025 के अंत तक निर्धारित किया गया है। अतः अनुरोध है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी लाते हुए शेष बचे कर्मचारियों को हिंदी संबंधी प्रशिक्षण दिलवाने की उपयुक्त व्यवस्था करें।

साथ ही यह भी सूचित करना समीचीन होगा कि हिंदी शिक्षण योजना के तीन निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में यथा- दीर्घकालिक/मध्यमकालिक/अल्पकालिक भाषा एवं टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी सुविधानुसार अपने अपने कार्यालयों में प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संपूर्ण, अद्यतित जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर (<http://www.rajbhasha.nic.in>, <http://www.rajbhasha.gov.in>) उपलब्ध है।

भवदीय,

(के.एल. गोयल)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) वेब पर अपलोड करने हेतु।